

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082024-256367 CG-DL-E-14082024-256367

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]नई दिल्ली मंगलवार, अगस्त 13, 2024/श्रावण 22, 1946No. 458]NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2024/SHRAVANA 22, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 497(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: <u>comments-morth@gov.in</u>, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (......संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान के सिवाय, ये आधिकारिक राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

 केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में नियम 125-ढ के बाद निम्नलिखित नियम 125-ण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"125-ण इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन निर्माण उपकरण वाहनों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं। - [1 अक्टूबर 2024] को और उसके बाद, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन लगे हुए निर्माण उपकरण वाहन एआईएस-174 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है।"

[फा. सं. आरटी-11028/02/2023-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि........(अ), दिनांकित द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2024

G.S.R. 497(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (...... Amendment) Rules, 2024.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 125-N following rule 125-O shall be inserted namely: -

"125-O. Safety Requirements for Electric Power Train Construction Equipment Vehicles. – On and after [1st October 2024], Construction Equipment Vehicles fitted with Electric Power Train shall meet requirements as specified in AIS-174, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 2016)."

[F. No .RT-11028/02/2023-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R.(E), dated the

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.